नवीन प्र०२०१/3225/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 निगरानी R 3225-I/14

मीरा देवी पत्नी लालवहादुर शर्मा, पुत्री श्री चन्द्रमाधव, निवासी– स्टेट बैक के बगल वाली गली वृजविहार कॉलोनी मालनपुर जिला भिण्ड (म.प्र.) ....आवेदिका

बनाम

1. जसराम पुत्र चन्द्रमाधव निवासी भदाखुर वृत्त फूप परगना व जिला भिण्ड (म.प्र.)
2. सावित्री उर्फ गुडडी पत्नी प्रदीप ब्राहमण निवासी ट्रान्सपोर्ट नगर मुरैना रोड ग्वालियर म.प्र.
3. गीता देवी पुत्री चन्द्रमाधव निवासी भदाखुर परगना व जिला भिण्ड

...........अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 23/9/14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(L.S. Dhakad) 22/9/14

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–रामस्व संहिता 1959 न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 63/11–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.07.2014 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदिका की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, आवेदिका तहसील न्यायालय फूप जिला भिण्ड के समक्ष एक आवेदन पत्र अपने पिता चन्द्रमाधव की मृत्यु के उपरांत वारिसान के आधार पर नामातंरण के लिये प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रकरण क्र. 39/9–10/अ–6 पर पंजीवद्व किया गया तथा हितवद्व पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जाकर कार्यवाही प्रचलित की गई जिसमें आदेश

(145)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3225-एक/14 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	